

11/11 - 23-11-16

समक्ष-न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व पुनरीक्षण क्र0 :-

तारीख प्रस्तुति :-

24 NOV 2015

डायमंड सीमेन्ट्स प्रो0 हाईडेलबर्ग सीमेन्ट्स इंडिया लिमिटेड

नरसिंहगढ़ जिला दमोह (म0प्र0)

—पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. हरगोविंद पटेल पिता बेनी प्रसाद पटेल उर्म ५८ वर्ष, सकिन ग्राम हिन्नाई, तहसील व जिला दमोह (म.प्र.)

2. माननीय तहसीलदार, तहसील व जिला दमोह (म0प्र0)

—उत्तरवादीगण

विषय :- पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार पथरिया जिला दमोह द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 6 अ/12 वर्ष 2014-15 में सीमांकन प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.01.2015 के विरुद्ध यह पुनरीक्षण।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

पुनरीक्षणकर्ता डायमंड सीमेन्ट्स प्रो0 हाईडेलबर्ग सीमेन्ट्स इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ जिला दमोह (म0प्र0) ने से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 09.09.1986 के द्वारा ग्राम हिन्नाई, तहसील व जिला दमोह की भूमि पुराना खसरा नंबर 201 नया ख0नं0 263/1 में से 0.198 हेक्टे0 भूमि क्रय की थी व क्रय दिनांक से ही उक्त भूमि पर पुनरीक्षणकर्ता का अधिपत्य हो गया था।



यह कि इसके पश्चात् उत्तरवादी ने इसी भूमि के रकवा के लिये एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना दर्शित करते हुए सीमांकन करने का आवेदन पत्र उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उत्तरवादी क्र0 2 ने पुनरीक्षणकर्ता के हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी तथा विवादित भूमि के सरहदी पक्षकार होते हुए भी उसे बिना सूचित किये हुए दिनांक 21.01.15 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए सीमांकन कार्यवाही निष्पादित कर दी।

पुनरीक्षणकर्ता उत्तरवादी क्र0 2 के इसी आलोच्य आदेश से पीडित होकर अन्य मुद्दों के अलावा निम्नलिखित मुद्दों पर यह पुनरीक्षण माननीय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :-

पुनरीक्षण के आधार :-

1. यह कि उत्तरवादी क्र0 2 द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत है जिस वजह निरस्त किये जाने योग्य है अतः निरस्त किया जावे।

सिद्धांत
3/11/15



22/12/15

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला-दमोह

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-23-दो/2016

डायमंड सीमेन्ट्स प्रो. विरुद्ध हरगोविन्द पटेल व तहसीलदार, दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील दमोह जिला- दमोह के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21-01-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। <p style="text-align: right;">(आर.के. जैन) सदस्य 07/03/19</p>	